

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंचार, आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 51/2017

1. कृष्णलाल पुत्र श्री हनुमान जाति विश्‍नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र श्री भानूप्रताप जाति विश्‍नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अनील कुमार पुत्र श्री भानूप्रताप जाति विश्‍नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मैनादेवी पत्नी भूप सिंह-माता भानूप्रताप जाति विश्‍नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. इमानती देवी पत्नी भानूप्रताप जाति विश्‍नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. लक्ष्मीदेवी पुत्री श्री भानूप्रताप पत्नी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री महावीर खीचड जाति विश्‍नोई निवासी 16 एसएडी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर।
6. उर्मिला पुत्री श्री भानूप्रताप पत्नी श्री पवन पुत्र श्री कृष्ण लाल पूनिया निवासी 3, डब्ल्यू कै.एस.एम. तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश इन्तकाल संख्या 649 दिनांक 19.05.2017 जिसकी रूह से अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र श्री सदासुख की कृषि भूमि वाके चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की 34 बीघा 15 बिसवा में से 4.306 हैक्टर भूमि का इन्तकाल रेस्पोंडेन्ट्स के पति व पिता व पुत्र भानूप्रताप के नाम दर्ज किया गया को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :

1. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री मोहनलाल छाबड़ा, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स

::आदेश ::

दिनांक :-19.04.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र सदासुख के नाम से चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 में 4.306 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पिता हनुमान का देहान्त दिनांक 29.09.2005 को हो गया था उनके वारिसान में अपीलांट उनका सबसे बड़ा पुत्र है। अपीलांट के अलावा उनके पुत्र भूप सिंह, बनवारीलाल, वंशीलाल व पुत्री कलावती वारिसान है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण-पत्र सलंगन अपील है। स्व. हनुमान की मृत्यु होने पर उनके नाम की चक 1 डी छोटी साधुवाली की 4.306 हैक्टर भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज होना था और इस इंतकाल की कार्यवाही में श्री हनुमान के तमाम वारिसान को सूचना दी जाकर और उनका पक्ष सुनने के उपरान्त ही उनकी भूमि के विरास्तन जाने के बारे में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाना कानूनन व इन्साफन आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने यहां वसीयत के अधीन प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया न अपीलांट को इस

कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



कार्यवाही का कोई नोटिस किसी प्रकार का दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के यहां लम्बित कार्यवाही की अपीलांत को जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपीलांत से पोशिदा तौर पर कार्यवाही करते हुए श्री हनुमान के नाम की कथित वसीयत का हवाला देते हुए भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम अमल दरामद करने का आदेश देने में सख्त गलती की है। आदेश सहज न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांत ने माननीय न्यायालय में अपील संख्या 46/2017 अनवानी कृष्ण लाल बनाम भानूप्रताप पेश कर दी जिसमें आयन्दा तारीख पेशी 22.06.2017 निश्चित है। उक्त आदेश के आधार पर अपीलाधीन भूमि का इंतकाल संख्या 649 दिनांक 19.05.2017 से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 6 के पति व पिता भानूप्रताप के नाम दर्ज कर दी है। अपीलांत इस इंतकाल से व्यथित है व अपीलांत माननीय न्यायालय की अनुमति से अपीलाधीन इंतकाल के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित वसीयत के आधार पर आदेश पारित करने में व अपीलाधीन इंतकाल स्वीकार करने में अपीलांत को कोई नोटिस नहीं दिया व न सुनवाई का अवसर दिया। आदेश अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांत के पिता की भूमि रेस्पोजेन्ट्स के नाम दर्ज कर अपीलांत को अपने पिता की भूमि से महरूम कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 1 डी छोटी के मुख्या नम्बर 54,55,58 में 4.306 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान पुत्र सदासुख की मानी है। हनुमान ने अपनी इस भूमि के बारे में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी और हनुमान के तमाम वारिसान को विरास्तन जानी थी और हनुमान के कुल वारिसान में चार पुत्र व एक पुत्री होने से अपीलांत का इस भूमि में पांचवा हिस्सा था। आदेश जेर अपील से हनुमान की कुल भूमि कथित वसीयत का आधार बनाते हुए रेस्पोजेन्ट को देने से अपीलांत को अपनी भूमि से वंचित कर दिया गया है। अपीलांत के पिता ने कोई वसीयत रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के हक में नहीं की थी और अपीलांत के पिता को गुमराह करते हुए रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपने सगे मौसेरे भाई सतपाल व अपने मित्र ओम प्रकाश से साजिश कर बन्द वसीयत लिखवाने की कोई कार्यवाही कर दी है तो इससे कूटरचित वसीयत सही नहीं हो सकती है। इस वसीयत के सम्बन्ध में अपीलांत को आपत्ति का अवसर दिया जाता तो अपीलांत तमाम साक्ष्य प्रस्तुत कर देता। चक 1 डी छोटी के मुख्या नम्बर 54,55,58 की श्री हनुमान के नाम की कुल भूमि हनुमान को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुई थी और हनुमान को यह सम्पत्ति विरास्तन प्राप्त हुई थी। इस सम्पत्ति के अलावा भी अन्य भूमियां भी पैतृक सम्पत्ति के रूप में थी। हनुमान ने अपनी कुल पैतृक सम्पत्ति का विभाजन जरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 22.04.1972 को कर दिया था और हनुमान ने चक 1 छोटी में मुख्या नम्बर 54 में केवल किला नम्बर 16,17 सालम, 18 में 8 बिस्वा व मुख्या नम्बर 55 के किला नम्बर 3 की 1 बीघा कुल 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही अपने पास रखी थी व शेष भूमि अन्य को दे दी थी। इससे श्री हनुमान के पास चक 1 डी छोटी में 4.306 हैक्टर भूमि थी ही नहीं और जो वसीयत की गयी है वह बिना अधिकार बनाई गयी है। पैतृक सम्पत्ति की वसीयत करने का भी कोई अधिकार हनुमान को नहीं था। ऐसी सूरत में 4.306 हैक्टर भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के नाम करने का जो आदेश दिया है वह अधिकार विहीन व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 28.04.2017 को पारित किया था जिसकी अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर उसका स्थगन आदेश ले लिया गया है। इस अपीलाधीन व रथगित आदेश के आधार पर इंतकाल तस्दीक करने का जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। इंतकाल स्वीकृत करने की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को प्रयोजित कर दी गयी है। अपीलाधीन इंतकाल को तस्दीक करने की शक्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को थी। अपीलाधीन इंतकाल ग्राम पंचायत को भेजा जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल ग्राम पंचायत को भेजा ही नहीं गया। इंतकाल क्षत्राधिकार से वाहर जाकर स्वीकार किया गया होने से खारिज होने योग्य है। इंतकाल

श्रीगंगानगर



मानुप्रताप के हक में स्वीकार किया गया है। भानुप्रताप का दिनांक 01.06.2017 को स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोंडेन्ट भानुप्रताप के वारिसान है। इसलिए रेस्पोंडेन्ट्स के विरुद्ध ही अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.04.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांत के पिता हनुमान पुत्र सदासुख के नाम से चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 में 4.306 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांत के पिता हनुमान का देहान्त दिनांक 29.09.2005 को हो गया था। स्व. हनुमान की मृत्यु होने पर उनके नाम की चक 1 डी छोटी साधुवाली की 4.306 हैक्टर भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज होना था और इस इंतकाल की कार्यवाही में श्री हनुमान के तमाम वारिसान को सूचना दी जाकर और उनका पक्ष सुनने के उपरान्त ही उनकी भूमि के विरास्तन जाने के बारे में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाना कानूनन व इन्साफन आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने यहां वसीयत के लम्बित प्रकरण में अपीलांत को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया न अपीलांत को इस कार्यवाही का कोई नोटिस किसी प्रकार का दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के यहां लम्बित कार्यवाही की अपीलांत को जानकारी नहीं थी। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांत ने माननीय न्यायालय में अपील संख्या 46/2017 अनवानी कृष्ण लाल बनाम भानुप्रताप पेश कर दी जिसमें आयन्दा तारीख पेशी 22.06.2017 निश्चित है। उक्त आदेश के आधार पर अपीलाधीन भूमि का इंतकाल संख्या 649 दिनांक 19.05.2017 से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 6 के पति व पिता भानुप्रताप के नाम दर्ज कर दी है। अपीलांत इस इंतकाल से व्यथित है व अपीलांत माननीय न्यायालय की अनुमति से अपीलाधीन इंतकाल के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 में 4.306 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान पुत्र सदासुख की मानी है। हनुमान ने अपनी इस भूमि के बारे में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी और हनुमान के तमाम वारिसान को विरास्तन जानी थी और हनुमान के कुल वारिसान में चार पुत्र व एक पुत्री होने से अपीलांत का इस भूमि में पांचवा हिस्सा था। वसीयत के सम्बन्ध में अपीलांत को आपत्ति का अवसर दिया जाता तो अपीलांत तमाम साक्ष्य प्रस्तुत कर देता। चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की श्री हनुमान के नाम की कुल भूमि हनुमान को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुई थी और हनुमान को यह सम्पति विरास्तन प्राप्त हुई थी। इस सम्पति के अलावा भी अन्य भूमियां भी पैतृक सम्पति के रूप में थी। हनुमान ने अपनी कुल पैतृक सम्पति का विभाजन जरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 22.04.1972 को कर दिया था। पैतृक सम्पति की वसीयत करने का भी कोई अधिकार हनुमान को नहीं था। ऐसी सूरत में 4.306 हैक्टर भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम करने का जो आदेश दिया है वह अधिकार विहीन व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। इंतकाल स्वीकृत करने की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को प्रयोजित कर दी गयी है। अपीलाधीन इंतकाल को तस्दीक करने की शक्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को थी। अपीलाधीन इंतकाल ग्राम पंचायत को भेजा जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल ग्राम पंचायत को भेजा ही नहीं गया। इंतकाल क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकार किया गया होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर आदेश इंतकाल संख्या 649 दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांत द्वारा निम्ननुसार नजरे पेश की :-

- 1 आर आर डी. फरवरी 2002 पेज- 65-66
- 2 आर आर डी. 2012 पेज- 420-422
- 3 आर आर डी. 1996 पेज- 454-455
- 4 आर आर डी. जून 2002 पेज- 338-340



श्रीगंगानगर

रेस्पोजेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रजिस्टर्ड वसीयत को महज नियत समय अवधि में केवल सिविल कोर्ट (दीवानी न्यायालय) में ही चुनौती दी जा सकती है। कानूनी प्रावधानों के तहत जहां पंजीकृत वसीयत विद्यमान हो वहां विरास्त का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत को निरस्त न कर दिया जावे। इसलिए वसीयत को निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय में वाद पोषनीय नहीं है। इसलिए अपील अपीलांत निरस्त फरमाई जावें।


अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट द्वारा निम्ननुसार नजरे पेश की :-

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. आर.आर.टी. 2001(1) | पेज- 271-275 |
| 2. आर.आर.टी. 2018(2) | पेज- 848-858 |
| 3. 2006(ii) सीसीसी   | पेज-403      |

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपील के उभय पक्षों की ओर से बहस में जाहिर किये गए तथ्यों से यह अपील मृतक खातेदार हनुमान पुत्र श्री सदासुख की वाके चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वर्णित की गई है। अपीलार्थी का यह कथन कि उक्त वसीयत के पक्ष में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 में उनको सुना नहीं गया सत्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 2512 दिनांक 31.03.2017 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई जिसका प्रकाशन अखबार सीमा सन्देश दिनांक 10.04.2017 को किया गया है। मृतक हनुमान द्वारा बंटवारानामा से अपनी भूमि का बंटवारा अपने पुत्रों में 22.04.1972 को किया जाने के उपरान्त अपनी शेष भूमि की वसीयत अपने पोते भानूप्रताप पुत्र भूपसिंह के नाम रजिस्टर्ड वसीयत की गई जिसको अपीलांत द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.04.2017 वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद का जो आदेश पारित किया गया वो विधि सम्मत् है। जिसकी पालना में भरा गया अपीलाधीन नामांतरकरण सख्या 649 दिनांक 19.05.2017 चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की 34 बीघा 15 बिस्वा विधि की दृष्टि में सही है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता इंगित नहीं होती हैं। लिहाजा इसको यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
अति. जिला क्लर्क (पुंवार)  
अति. जिला क्लर्क  
(प्रशासन), श्रीगंगानगर